**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**
**(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 2023/168** **दायरा दिनांक : 06.10.2023**

**उनवान**

1. रामनारायण वल्द रतन लाल, आयु 70 साल
2. प्रकाश वल्द रतन लाल, आयु 40 साल
   जातियान मीणा निवासीयान अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
   .... अपीलांट

**बनाम**

1. चतुरभुज पिता प्रभु लाल, जाति मीना
2. बद्री लाल पिता प्रभु लाल, जाति मीना
3. दांखा बाई पिता प्रभु लाल, जाति मीना
4. लालजीराम पिता प्रभुलाल, जाति मीना
5. काली बाई पत्नी प्रभु लाल, जाति मीना
   निवासीयान अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
6. हीरा लाल आत्मज रामचन्द्र, जाति मीना
7. कमल्या वल्द राम चन्द्र, जाति मीना
   निवासीयान मेहमदपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज0
8. खेमराज वल्द पन्ना लाल
9. मुरली वल्द पन्ना लाल
   जाति मीना, निवासीयान कुण्डी, तहसील छबडा, जिला बारां
10. घासी लाल वल्द रतनलाल
11. मांगी लाल वल्द रतनलाल
12. भंवरी बाई बेवा रतनलाल
    जाति मीना निवासीयान अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
13. भूरी बाई पत्नी प्रभूलाल, जाति मीना निवासी ग्राम देवरीमुण्ड तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
14. शाखा प्रबन्धक महोदय सी. बी. आई, बैंक शाखा हरनावदाशाह जी जिला बारां राज0
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड
    .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चरण सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री योगेन्द्र गौतम अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 5 व 13 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**निर्णय** **दिनांक : 10.03.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 22/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 से 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड के माल की नई खेवट खतौनी संख्या 77 पुरानी 77 की खसरा नम्बर 367 की 4.12 बीघा, खसरा नम्बर 557 की 3.11 बीघा, खसरा नम्बर 563 की 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 564 की 2.00 बीघा, खसरा नम्बर 566 की 2.00 बीघा, खसरा नम्बर 693 की 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 695 की 11.03 बीघा, खसरा नम्बर 696 की 8.16 बीघा, खसरा नम्बर 773 की 2.11 बीघा, खसरा नम्बर 774 की 1.09 बीघा, खसरा नम्बर 775 की 8.03 बीघा, खसरा नम्बर 776 की 2.06 बीघा, खसरा नम्बर 797 की 2.19 बीघा, कुल 13 किता की 51.18 बीघा आराजी वादी के पिता नाथूलाल वल्द गौरीलाल के खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी सन् 1 जुलाई 1966 से 30 जून 1986 पेश है।

उक्त वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 557 का बेचान हो जाने से यह आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज हुई है। जिसका पृथक खाता नया 220 पुराना 201 की खसरा नम्बर 773 की 2.11 बीघा, खसरा नम्बर 774 की 1.09 बीघा, खसरा नम्बर 775 की 8.03 बीघा, खसरा नम्बर 776 की 2.06 बीघा, खसरा नम्बर 797 की 2.14 बीघा, कुल किता 5 की 17.03 बीघा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 7 लगायत 11 की पुश्तैनी आराजी है। नकल जमाबन्दी सं0 2068 से 2071 है एवं पृथक खाता संख्या नया 217 व पुराना 201 की खसरा नम्बर 367 की 1.03 बीघा, खसरा नम्बर 563 की 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 564 की 2.00 बीघा, खसरा नम्बर 566 की 2.00 बीघा, खसरा नम्बर 693 की 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 695 की 11.03 बीघा, खसरा नम्बर 696 की 8.16 बीघा, कुल किता 7 की 27.15 बीघा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 की पुश्तैनी आराजी है नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 ग्राम अजुर्नपुरा में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2020 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रहसार के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया है कि नामान्तकरण संख्या 108 दिनांक 30.01.1983 से नाथू लाल के स्थान पर रतन लाल वादी प्रभू लाल व धूली बाई वारिसान के पक्ष में तस्दीक होकर हक में खातेदारी दर्ज हुयी तथा नामान्तकरण संख्या 108 से ग्राम अर्जुनपुरा के खाता संख्या 217 व 220 में नाथू लाल के स्थान पर रतन लाल, प्रभूलाल, धूली बाई खातेदार घोषित हुये तथा नामान्तकरण संख्या 551 से दिनांक 28.11.2005 मृतक खातेदार धूलीबाई पुत्री नाथू के स्थान पर वारिसान हीरा लाल, नन्दा, कमल्या मांगी बाई व भूलीबाई खातेदार घोषित हुये तथा नामान्तकरण संख्या 865 दिनांक 20.06.2014 से मृतक खातेदार धूली बाई के स्थान पर खातेदार हेमराज, मुरली ग्राम अर्जुनपुरा के खाता संख्या 220 व 217 की आराजी में खातेदार टीनेन्ट घोषित हुऐ तथा सहखातेदार प्रतिवादीगण 2, 4 नन्दा व मांगी बाई पिसरान रामचन्द्र ने अपीलान्ट नं. 1 (प्रतिवादी नं. 7 रामनारायण) के हक में अपना हिस्सा रिलीज व बेचान की है जो कि रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा प्रतिवादी नं. 2 व 4 का हक हिस्सा नामान्तकरण सं. 864 दिनांक 20.06.2014 से अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण तस्दीक हुआ है तथा अपीलान्ट नम्बर 1 रामनारायण कानूनन विधि सम्मत प्रतिवादी नम्बर 2 व 4 की आराजी का खातेदार घोषित हुआ। रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 वादीगण व उनके पिता प्रभू लाल ने नामान्तकरण संख्या 108, 551 व 865 को भी चेलेन्ज नही किया तथा ना ही रिलीज बेचान को केन्सिल करवाया, जबकि रिलीज डीड को केन्सिल करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्र में नही आता फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित करके न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत कृत्य किया है, जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्ट को विधिवत रूप से तामील भी नही करवायी बल्कि अपीलान्ट व प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कर कानूनी भूल की है, अपीलान्टगण एवं प्रतिवादीगण को अपनी साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को विधिवत तामील न करवा कर अपीलान्टगण को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर न देकर जो निर्णय पारित किया है उससे अपीलान्ट के हितों पर कुठाराघात हुआ है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2020 को अपास्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 (वादीगण) ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रतिवादी नम्बर 2 व 4 ने अपीलांट नम्बर 1 रामनारायण के हक में अपने हक हिस्से की आराजी ग्राम अर्जुनपुरा की खाता संख्या 220 व 217 में से रिलीज बेचान करवायी है जो कि रजिस्टर्ड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दस्तावेज हैं। रेस्पोडेन्ट को रिलीज बेचान कैन्सिल करवाने सिविल न्यायालय में वाद पेश करना चाहिये था लेकिन रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुये तथा न्याय शुल्क बचाने की गरज से वाद पेश किया जो कि चलने योग्य नहीं था क्योंकि वाद का निस्तारण करने का अधिकार क्षेत्र अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्र में नहीं होने के कारण निर्णय पारित किया है जो कि नियम विरूद्ध है जो कि अपास्त होने योग्य है। नामान्तकरण संख्या 108, 551, 865 ते प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 हीरा लाल, नन्दा, कमल्या, मांगी बाई पिसरान रामचन्द्र व खेमराज, मुरली पितरान पन्ना लाल को विधिवत खातेदार घोषित करते हैं तथा ग्राम अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या 220 व 217 की आराजी में खातेदार घोषित होते हैं तथा कानून सम्मत खातेदार है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर कानूनी भूल की हैं जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट माननीय न्यायालय में पेश कर निवेदन करते हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2020 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.01.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं बहस में कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय मेंएक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था। जिसकी तामील हमें नहीं हुई। दावे के निर्णय से धूलीबाई का हिस्सा सम्पूर्ण 1/2, 1/2 रतन व प्रभू को चला गया था जबकि हक त्याग वाला हिस्सा हमें मिलना चाहिए। हकत्याग रजिस्टर्ड है यदि कानून लागू नहीं होता तो रजिस्टर्ड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कैसे हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 के पिता व रेस्पोडेंट नं. 5 के पति प्रभुलाल द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 220 पुराना 201 की खसरा नम्बर 773, 774, 775, 776, 797 की कुल किता 5 की 17.03 बीघा एवं खाता संख्या नया 217 व पुराना 201 की खसरा नम्बर 367, 563, 564, 566, 693, 695, 696 कुल किता 7 की 27.15 बीघा आराजी को वादी व प्रतिवादी नं. 7 लगायत 11 की पुश्तैनी आराजी बताते हुए इस आशय का वाद दायर किया गया कि मीना जाति में पुत्रियों को पुश्तैनी आराजी में कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण से प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की माताओं के नाम खोले गये नामान्तरकरण को बेअसर घोषित किया जाकर वाद कि मद नम्बर 3 व 4 में वर्णित आराजी में से कम किया जाकर वादी को 1/2 व प्रतिवादी नं. 7 लगायत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाये। वादी के द्वारा बेचान की गई आराजी कम की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2020 से यह मानते हुए कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होते हैं एवं पुराने हिन्दू लॉ के तहत लडकियों को कोई हिस्सा नहीं होता। ऐसी स्थिति में राजस्थान के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पूर्व लागू उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनी अनुसूचित जनजाति के खातेदार कृषकों के लिए प्रभाव में आना माना जाएगा। हिन्दू पुरूष की मृत्यु पर पुत्र/पौत्र, पर–पौत्र एवं विधवा आती है, जिसमें पुत्रियों का अधिकार नहीं माना जा सकता है। हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अधीन पिता की भूमि में पुत्री धूलीबाई विरासत पाने की अधिकारिणी नहीं है। इस कारण प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 खातेदार नाथू की पुत्री धूलीबाई के वारिस तथा प्रतिवादी नं. 5 व 6 धूलीबाई की पुत्री भूलीबाई के वारिस होने के कारण भूमि में विरासत पाने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते है। इस आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर वादी को ग्राम अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 220 पुराना 201 की कुल 5 किता की 17.03 बीघा आराजी में 1/2 भाग का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया एवं ग्राम अर्जुनपुरा के खाता संख्या नया 217 पुराना 201 की कुल किता 7 की 27.15 बीघा आराजी में से वादी के 1/2 भाग में से वादी द्वारा प्रतिवादी नं. 12 भूरीबाई को बेचान की गई आराजी को कम करते हुए शेष आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित करते हुए ग्राम अर्जुनपुरा के नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 29.01.1983, नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 28.11.2005, नामान्तरकरण संख्या 865 दिनांक 20.06.2014 व नामान्तरकरण संख्या 864 दिनांक 20.06.2014 को वादी के अधिकारों पर बेअसर घोषित कर प्रतिवादी 1 लगायत 6 का नाम खाते से कम करने का निर्णय पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग संवत 1966 से 1986 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी नाथू वल्द गोरीलाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड होने से पुश्तैनी आराजी है। नकल नामान्तरकरण संख्या 108 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि खातेदार नाथू के फौते होने पर फौती नामान्तरकरण रतन, प्रभू पुत्र नाथू व धूलीबाई पुत्री नाथू के नाम स्वीकृत हुआ परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति के लोगो पर लागू नहीं होता, इसी वजह से अनुसूचित जनजाति की महिलायें अपने पिता या हिन्दू अविभाजित परिवार (HUP) की सम्पत्ति में समान हिस्से की हकदार नहीं है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः विधि के प्रावधानों के विपरीत खोला गया नामान्तरकरण संख्या 108 अपने पिता नाथू की सम्पत्ति में पुत्री धूलीबाई को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। इसी कारण धूलीबाई की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम खोले गये फौती नामान्तरकरण संख्या 551 से धूलीबाई के वारिसान हीरा, नन्दा, कमल्या पुत्र व मांगी, भूली पुत्रियों को एवं भूलीबाई पुत्री धूलीबाई की मृत्यु के पश्चात भूलीबाई के वारिसान खेमराज, मुरली माता भूलीबाई के नाम खोले गये फौती नामान्तरकरण संख्या 865 से भूलीबाई के वारिसान खेमराज व मुरली को विवादित आराजी में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। अधिकारों के अभाव में नन्दा व मांगीबाई द्वारा अपीलांट कम 1 रामनारायण के हक में किया गया रजिस्टर्ड हकत्याग भी आरम्भ से ही प्रभावशून्य होगा। आरम्भ से ही प्रभावशून्य दस्तावेज के आधार पर अपीलांट कम 1 के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 864 भी वैधानिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता। अतः अपीलांट का यह कथन कि वादीगण के पिता प्रभूलाल ने नामान्तरकरण संख्या 108, 551, व 865 को चेलेन्ज नहीं किया तथा ना ही रिलीज बेचान को कैंसिल करवाया स्वीकार योग्य नहीं क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नही होता और इस अधिनियम के तहत खोले गये उपरोक्त सभी नामान्तरकरण व निष्पादित हकत्याग विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से स्वतः प्रभाव शून्य है। अपीलांट का एक अन्य कथन यह है कि उन्हें सम्मनों की तामील नहीं करवायी गई। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नोटिस एवं आदेशिका के अवलोकन से अपीलांट को सम्मन की तामील होना पाया गया। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code, Appendix G'9)**

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

**दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)**

1. रामनारायण वल्द रतन लाल, आयु 70 साल
2. प्रकाश वल्द रतन लाल, आयु 40 साल

जातियान मीणा निवासीयान अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0

**.....अपीलांट**

**बनाम**

1. चतुरभुज पिता प्रभु लाल, जाति मीना
2. बद्री लाल पिता प्रभु लाल, जाति मीना
3. दांखा बाई पिता प्रभु लाल, जाति मीना
4. लालजीराम पिता प्रभुलाल, जाति मीना
5. काली बाई पत्नी प्रभु लाल, जाति मीना
   निवासीयान अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
6. हीरा लाल आत्मज रामचन्द्र, जाति मीना
7. कमल्या वल्द राम चन्द्र, जाति मीना
   निवासीयान मेहमदपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज0
8. खेमराज वल्द पन्ना लाल
9. मुरली वल्द पन्ना लाल
   जाति मीना, निवासीयान कुण्डी, तहसील छबडा, जिला बारां
10. घासी लाल वल्द रतनलाल
11. मांगी लाल वल्द रतनलाल
12. भंवरी बाई बेवा रतनलाल
    जाति मीना निवासीयान अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
13. भूरी बाई पत्नी प्रभूलाल, जाति मीना निवासी ग्राम देवरीमुण्ड तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
14. शाखा प्रबन्धक महोदय सी. बी. आई, बैंक शाखा हरनावदाशाह जी जिला बारां राज0
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

**.....रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2023/168**
मु.द.नं **22/दावा/2015**

व नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना**
निर्णय एवं डिकी दिनांक – **15.07.2020**

## दावा बाबत

माह अपील व तारीख **21** माह **02** सन् **2025**

हाजरी **श्री चरण सिंह चौहान** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री योगेन्द्र गौत्तम** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट क्रम 1 से 5 व 13 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

**अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2020 यथावत रखा जाता है।**

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **10** माह **03** सन् **2025** को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
**भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**
**(राज0)**